संख्या–3568 / 33–3–2018–67 / 2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषयः–पंचायत पुरस्कार 2019 के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन / मार्ग–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या–एन0–11019 / 20 / 2018–गर्वनेन्स दिनांक 26 सितम्बर, 2018 एवं **www.panchayataward.gov.in** पर उपलब्ध मार्गनिर्देशिका द्वारा पंचायत पुरस्कार, 2019 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के वर्ष 2017–18 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर ऑनलाइन नामांकन करने हेतु सामान्य एवं सामान्य+विषयगत श्रेणी की प्रश्नावलियां भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 हेतु ऑन–लाइन नामांकन किया जा सके। उक्त के क्रम में निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1– **योजना का उद्देश्य :–**

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

2– **सामान्य निर्देश :–**

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2017–18 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वमूल्यांकन कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1) / 33–3–2015–153 / 2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 02

जिला पंचायतों का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

- उपर्युक्त पुरस्कार हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से समयान्तर्गत भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं0) के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी की ई–मेल आईडी पर तथा जिला पंचायतों के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी की ईमेल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के दो श्रेणी यथा सामान्य एवं सामान्य+विषयगत दिये गये हैं। सामान्य पुरस्कार हेतु पंचायतों द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली (सामान्य प्रश्नावली) के माध्यम से एवं सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु सामान्य प्रश्नावली एवं भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों में से किसी एक विषय पर 20 अंकों वाली प्रश्नावली पर आवेदन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी या सामान्य+विषयगत श्रेणी में तथा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों की सूची निम्नवत् हैः–

  1– साफ–सफाई।
  2– नागरिक सेवायें (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना)।
  3– नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन।
  4– अधिकारहीन वर्ग की सेवायें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं/वरिष्ठ नागरिक)।
  5– सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन।
  6– आपदा प्रबन्धन।
  7– ग्राम पंचायतों को स्वयं सेवी संस्थाओं/सी0बी0ओ0 द्वारा दी जा रहीं सेवायें।
  8– राजस्व को बढ़ावा
  9– ई–गर्वनेन्स।

- भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी जनपद से 02 क्षेत्र पंचायतों तथा 02 ग्राम पंचायतों से अधिक का प्रस्ताव पुरस्कार के लिए नहीं किया जायेगा।
- स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कराकर दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई ग्राम पंचायतों को सामान्य+विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।

3— **आवेदन एवं चयन प्रक्रियाः—**

दीन दयाल पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2019 (सामान्य एवं विषयगत) की प्रश्नावलियॉ ऑन—लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेंगी :—

(1) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावलियों पर वर्ष 2017—18 में किये गये कार्यों के आधार पर ऑन—लाइन अपने स्तर से फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को अग्रसारित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रश्नावालियों का अनुमोदन कर पंचायतों को राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित कर फ्रीज करेंगी। यह कार्य वेब—पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

(2) **ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में—** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत पुरस्कार के वेब—पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु 9 विषयों में से किसी एक विषय की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देख—रेख में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ऑन—लाइन भर कर फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ, जो जनपद स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या—2931(1)/33—3—2015—153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन—लाइन उपलब्ध हो जायेंगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों का परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन—लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित करने वाली पंचायतो की कुल संख्या 08 ग्राम पंचायत प्रति जनपद से कम न हो।

(3) **क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में—**दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब—पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख की देख—रेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन—लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन—लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं

प्रश्नावलियों का परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसरित करने वाली पंचायतो की कुल संख्या 04 क्षेत्र पंचायत प्रति जनपद से कम न हो।

(4) **जिला पंचायत के सम्बन्ध में–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देख–रेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा परीक्षण कर चयनित सूची स्थलीय सत्यापन के लिए ऑफलाइन उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(5) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी एवं समस्त जनपदों की जिला पंचायत की सामान्य बैठकों में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य अधिकारी उ0प्र0 को उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से नमूने के तौर पर मुद्रित पुस्तक ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी अथवा सभी प्रश्नावलियॉ विभाग की वेब–साईट www.panchayataward.gov.in पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

(6) उपरोक्त योजना की ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त जिला परियोजना समन्वयको/जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी को प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण का समय/दिनांक/स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु समस्त जनपदों के सबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बधित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक प्रश्नावलियॉ भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेंगे।

(7) जनपदो व विकास खण्डों से समयान्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत व ग्राम सभा की ऑन–लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को, अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा निदेशालय स्तर पर निम्नवत कमेटी गठित की जायेगी :–

(1) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज उ0प्र0।

(2) एक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायती राज उ0प्र0।

(3) दो कन्सलटेन्ट (आर0जी0एस0ए0) पंचायती राज उ0प्र0।

उक्त कमेटी के परीक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 90 ग्राम पंचायतों व जनपदो से प्राप्त ग्राम सभा

की सूची तैयार की जायेगी तथा पंचायतो का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 अधिकृत होगें, जो कि पूर्व की भांति जिला/मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/समन्वयक, जिला/मण्डलीय कन्सलटेन्ट, राज्य कन्सलटेन्टस एवं किसी अन्य संस्था के माध्यम से किया जा सकेगा।

पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। परीक्षणोपरान्त सत्यापन दल द्वारा 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 90 ग्राम पंचायतों का सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल द्वारा उक्त समस्त पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को ऑनलाइन अग्रसारित की जायेगी।

(8) सत्यापन दल द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 तक ऑन–लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन–लाइन नामांकन कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को फ्रीज की जायगी तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा में से सबसे उत्कृष्ट/प्रभावी एक ग्राम सभा की प्रश्नावलियां को दिनांक 05 नवम्बर, 2018 तक स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) हेतु फ्रीज की जायेगी। नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत भारत सरकार को स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) द्वारा 02 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) इस प्रकार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार अन्तर्गत कुल चयनित 36 पंचायतों एवं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार अन्तर्गत कुल 02 ग्राम सभाओं का पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं के स्तर से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के अन्तर्गत 36 पंचायतों को एवं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत 01 ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक धनराशि को विभिन्न मदों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर व्यय किया जायेगा। समयान्तर्गत उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों में से 05 जिलाधिकारियों, 05 मुख्य विकास अधिकारियों, 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों व निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर निम्न बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट कार्य

Amit Sri.

करने वाले जनपदों की संख्या के आधार पर प्रदेश के 02 मण्डलायुक्त व 02 मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) को मानदेय स्वरूप धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा :–

क्र.	कार्यवाही बिन्दु	पूर्णांक
1	People's plan campaign 2018 के दौरान वर्ष 2019–20 की सबसे अधिक वार्षिक कार्ययोजना अपलोड करने (gpdp.nic.in) की स्थिति • 71–100 प्रतिशत – • 75–90 प्रतिशत – • 50–75 प्रतिशत – • 25–50 प्रतिशत –	(30) 30 25 20 15
2	वर्ष 2017–18 में 14वें एवं चतुर्थ वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित धनराशि के सापेक्ष एक्शन–साफ्ट/प्रिया–सॉफ्ट पर पंचायतों द्वारा व्यय की आनलाईन फीडिंग :– • 75–90 प्रतिशत – • 91–100 प्रतिशत –	(30) 15 30
3	वित्तीय वर्ष 2018–19 की ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान–प्लस पर शत–प्रतिशत अपलोड किया जाना।	(15)
4	एम–एक्शन साफ्ट के माध्यम से वर्ष 2017–18 में सम्पत्तियों की जीओ टैगिंग की स्थिति– • प्रथम जनपद • द्वितीय जनपद • तृतीय जनपद • चतुर्थ जनपद • पंचम जनपद	(25) 25 20 15 10 05

उक्त के अतिरिक्त शासन तथा निदेशालय स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व कन्सलटेन्ट को भी प्रशस्ति पत्र/मानदेय से सम्मानित किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायतीराज वेबसाइट (www.panchayat award.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को <u>**संलग्न समय–सारिणी**</u> के अनुसार ऑन–लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।

<u>**संलग्नक–यथोक्त।**</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 संजीब पटजोशी, संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली (पिन कोड नं0: 110001) के पत्र संख्या–एन0–11019/20/2018–गर्वनेन्स दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में।

2– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ।

3– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।

4– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

7– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।

8– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

9– उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत करायें।

10– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत करायें।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

Amit Sri.

शासनादेश संख्या– 3564/33–3–2018–67/2012 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 के पर्यवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारिणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	प्रदेश के जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर कन्सलटेन्ट (RGSA) पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	माह अक्टूबर, 2018
2	**ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में :–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत राज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर व सामान्य+विषयगत श्रेणी में पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.10.2018 तक
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05 नवम्बर, 2018
4	**क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में :–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर प्रश्नावलियां भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.10.2018 तक
5	**क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में :–** क्षेत्र पंचायतों द्वारा फ्रीज की गईप्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर गठित अध्यक्ष/जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर ऑनलाइन राज्य स्तरीय	दिनांक 05 नवम्बर, 2018

Amit Sri.

	पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	
6	**जिला पंचायत के सम्बन्ध में :–** पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में जिला पंचायतों की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर जनपद के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर फ्रीज कर अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.10.2018 तक
7	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के स्तर से परीक्षण कर चयनित सूची स्थलीय सत्यापन के लिए ऑफलाइन SPPAC को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 05 नवम्बर, 2018
8	नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा के वर्ष 2017–18 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 31.10.2018 तक
9	नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा के अन्तर्गत जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा अनुमोदित/चयनित ग्राम सभा की प्रश्नावलियों को राज्य स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 05 नवम्बर, 2018
10	निदेशालय स्तर पर जनपदों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की प्राप्ताकों के आधार पर प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को अंकों के अवरोही क्रम में कर 06 जिला पंचायत, 12 क्षेत्र पंचायत और 90 ग्राम पंचायतों की सूची व 02 ग्राम सभा की सूची निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार किया जाना।	दिनांक 12 नवम्बर, 2018
11	सत्यापन दल गठन करना तथा सत्यापन दल को पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना।	दिनांक 12 नवम्बर, 2018
12	सत्यापन दल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया जाना।	दिनांक 13–22 नवम्बर, 2018
13	सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट स्टेट पंचायत परफरामेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध	दिनांक 23 नवम्बर, 2018

Amit Sri.

	कराया जाना।	
14	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) द्वारा चयनित 30 ग्राम पंचायत, 04 क्षेत्र पंचायत तथा 02 जिला पंचायत व एक ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 25 नवम्बर, 2018

नोट :– उक्त योजनान्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय–सरिणी उक्त सीमा तक निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

Amit Sri.